

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 67/2025

दायर दिनांक: 17.07.2025

उनवान

1. लक्की कंवर आयु 25 वर्ष पुत्री शिवराजसिंह जाति राजपूत निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल० आर० एक्ट

उपस्थित :-

प्रार्थिया :-विद्वान अभिभाषक श्री गौरव हाडा

निर्णय दिनांक: 24.07.2025

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर०एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल कुन्डी पटवार क्षेत्र कुन्डी तहसील अटरू की खाता संख्या 543 के ख०नं० 110 रकबा 0.18 है०, ख०नं० 1472 रकबा 0.78 है०, ख०नं० 1482 रकबा 0.89 है०, ख०नं० 159 रकबा 1.14 है०, ख०नं० 212 रकबा 1.70 है०, ख०नं० 98 रकबा 1.05 है० किता 6 रकबा 5.74 है० आराजी प्रार्थिया के खाते दर्ज हैं। जिसमें प्रार्थिया का गलत नाम लालीकुवर पुत्री शिवराजसिंह दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। जो कबिल गौर हैं। प्रार्थना पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम लालीकुवर पुत्री शिवराजसिंह दर्ज है जो प्रार्थिया का गलत नाम हैं जबकि प्रार्थिया का सही नाम लक्की कंवर पुत्री शिवराजसिंह हैं। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, तथा अन्य दस्तावेजो मे प्रार्थिया का नाम लक्की कंवर पुत्री शिवराजसिंह है। इसलिए प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो में भिन्न हैं। प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो में भिन भिन्न नाम होने सेप्रार्थी को बैंक आदि से ऋण लेने व कृषि विकास कार्य करवाने में कई प्रकार की समस्याओ का सामना करना पडता है। अस्तु प्रार्थिया राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम लालीकुवर पुत्री शिवराजसिंह के स्थान पर लक्की कंवर

पुत्री शिवराजसिंह दर्ज करवाने की अधिकारी है। जिसे बिना न्यायालय की सहायता के नहीं करवाया जा सकता। अस्तु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण प्रथम बार दिनांक 15.06.2025 को प्रार्थिया द्वारा प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधी योजना के आवेदन करने पर जमाबन्दी में गलत नाम दर्ज से आवेदन खारिज पर तथा प्रार्थिया द्वारा कई बार अप्रार्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन के बावजूद भी नहीं करने पर अन्तिम बार मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद की विषयवस्तु व पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य हैं। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम लालीकुंवर पुत्री शिवराजसिंह के स्थान पर लक्की कंवर पुत्री शिवराजसिंह दुरुस्त करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा साक्ष्यप्रार्थी के तहत शपथ पत्र **Pw1** लक्की कंवर पुत्री शिवराजसिंह जाति राजपूत निवासी मोठपुर तहसील अटरू व **Pw2** दीपकुंवर पत्नी शिवराज सिंह जाति राजपूत निवासी मोठपुर तहसील अटरू के शपथ पत्र पेश किए गए तथा अभिभाषक प्रार्थिया की बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थिया की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों— नकल जमाबन्दी ग्राम व माल कुण्डी पटवार हल्का कुण्डी सम्वत 2071-74 खाता संख्या 543, आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ग्राम पंचायत मोठपुर प्रमाण पत्र व शपथ पत्र गवाहान का अवलोकन किया गया।

नकल जमाबन्दी ग्राम व माल कुण्डी पटवार हल्का कुण्डी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 543 में सहखातेदार प्रार्थिया की मां दीपकुंवर पत्नी शिवराज सिंह ने भी लालीकुंवर का नाम लक्की कंवर होना स्वीकार किया तथा स्वयं उपस्थित होकर आदेशिका पर सहमति हस्ताक्षर किए।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, साक्ष्यप्रार्थी के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल कुण्डी पटवार हल्का कुण्डी की खाता संख्या 543 के ख0नं0 110 रकबा 0.18 है०, ख0नं0 1472 रकबा 0.78 है०, ख0नं0 1482 रकबा 0.89 है०, ख0नं0 159 रकबा 1.14 है०, ख0नं0 212 रकबा

1.70 है०, ख०नं० 98 रकबा 1.05 है० कुल किता 6 का कुल रकबा 5.74 है० आराजी में सह खातेदार लालीकुंवर पुत्री शिवराजसिंह के स्थान पर लक्की कंवर उर्फ लालीकुंवर पुत्री शिवराजसिंह किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—ःक्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल० आर० एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल कुण्डी पटवार हल्का कुण्डी की खाता संख्या 543 के ख०नं० 110 रकबा 0.18 है०, ख०नं० 1472 रकबा 0.78 है०, ख०नं० 1482 रकबा 0.89 है०, ख०नं० 159 रकबा 1.14 है०, ख०नं० 212 रकबा 1.70 है०, ख०नं० 98 रकबा 1.05 है० कुल किता 6 का कुल रकबा 5.74 है० आराजी में सह खातेदार लालीकुंवर पुत्री शिवराजसिंह के स्थान पर लक्की कंवर उर्फ लालीकुंवर पुत्री शिवराजसिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा अटरू को भिजवायी जावे। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां